भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1319

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देना

1319. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट योजना या नीति है;

(ख) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश राज्य में प्लाईवुड और संबद्ध उद्योगों के उत्पादन, विपणन आदि को सुव्यवस्थित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का कोई मौजूदा प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा देश से प्लाईवुड के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है और 2019 से कितनी मात्रा में प्लाईवुड का निर्यात किया गया है ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने निवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करने, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्लाईवुड उद्योग सहित भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें शुरु की हैं। इन पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट करों में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं। प्लाईवुड सहित विभिन्न क्षेत्रों में अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए सरकार ने, एक निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति भी लागू की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत, सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एकीकृत औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित कर रही है। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक औद्योगिक क्लस्टरों तक पहुंच और इष्टतम परिचालन लागत से लाभ मिलेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नवप्रयोग और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 15 मार्च, 2024 को "प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024" अधिसूचित किया है (अनुबंध में देखा जा सकता है)।

(ग): प्लाईवुड के निर्यातक (एचएस 4412 के तहत) निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम के अंतर्गत फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य के 0.5% की दर से लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से प्लाईवुड के निर्यात में वृद्धि हुई है। आंकड़े निम्नानुसार हैं:

एचएस कोड	**वित्त वर्ष**	**निर्यात मूल्य (मिलियन अमेरिकी डालर में)**
एचएस 4412- प्लाईवुड, वेनीयर्ड पैनल और ऐसी लैमिनेटिड लकड़ी	2018-2019	32.28
	2019-2020	33.97
	2020-2021	37.56
	2021-2022	71.92
	2022-2023	75.26
	2023-2024	56.99

(स्रोत: https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp)

*****

अनुबंध

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1319 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सां.आ..... (अ)- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा को प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों के संबंध में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या जिनके किए जाने से छूट प्रदान किया गया, केंद्र सरकार का यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 28 फरवरी, 2025 से लागू होगा:

बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 28 मई, 2025 से लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 28 अगस्त, 2025 से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी, निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी- यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी- इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर	303:1989	सामान्य प्रयोजनों के लिए प्लाईवुड
	2202 (भाग 1):1999	वुडेन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के) - प्लाईवुड फेस पैनल
	710:2010	मरीन प्लाईवुड
	5509:2021	अग्निरोधी प्लाईवुड
	1328:1996	साज-सज्जा वाले प्लाईवुड
	2191 (भाग 2):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (सेलुलर और छिद्र वाले) – पार्टिकल बोर्ड और हार्डबोर्ड फेस पैनल
	2191 (भाग 1):2022	वुडेन फ्लश डोर शटर (सेलुलर और छिद्र वाले) - प्लाईवुड फेस पैनल
	2202 (भाग 2): 2022	वुडन फ्लश डोर शटर (ठोस प्रकार के) - पार्टिकल बोर्ड, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और फाइबर हार्डबोर्ड फेस पैनल
	4990: 2011	कंक्रीट शटरिंग कार्यों के लिए प्लाईवुड – विनिर्देशन
	10701: 2012	स्ट्रक्चरल प्लाईवुड – विनिर्देशन

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फाइल सं. पी -14031/9/2023-सीआई]

(संजीव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

****